(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

'नो एलोकेशन फार एस०वाई०एल० प्रोजेक्ट' शीर्षक वाला समाचार

221. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अगस्त, 1991 के "ट्रिब्यून" में "नो एलोकेशन फार एस०वाई०एल० प्रोजेक्ट" शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने लंबे समय से निर्माणाधीन उक्त परियोजना को पूरा करने के लिये कोई विशेष कदम उठाने का निर्णय किया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त परियोजना की वास्तविक लागत इसकी वर्तमान अनुमानित लागत की तुलना में काफी कम थी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना को पूरा करने के लिये अब कितनी समय वधि निर्धारित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) 1991-92 के दौरान कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी क्योंकि इस कार्य के लिये संशोधित अनुमान समय पर प्राप्त नहीं हुये थे। पंजाब सरकार को वित्तीय वर्ष 1991-92 के अन्त तक भारत सरकार द्वारा लंबित अदायगी किये जाने तक उनके अपने संसाधनों से व्यय करने की सलाह दी गई है ।

(ग) पंजाब सरकार को शेष कार्य पूर्ण करने के लिये उपयुक्त अभिकारण/अभिकरणों को लगाने की सलाह दी गई है ।

(घ) परामर्शदात्री समिति द्वारा 1985 में स्वीकृत 272 करोड़ रुपये की परियोजना की लागत की तुलना में 1990 के मूल्य स्तर पर अद्यतन स्वीकृत संशोधित लागत 499 करोड़ रुपये है । लागत में वृद्धि के मुख्य कारण मूल्यों में वृद्धि, संविदाओं पर पंचाट-निर्णय, कार्य के दायरे में वृद्धि और 1988 की बाढ़ों की क्षतियों के कारण किये गये अनिवार्य उपचारी उपायों के कारण हैं । इन्हें पूर्ण करने का निर्धारित समय नये अभिकारण/अभिकरणों के स्वरूप और उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा जिनको पंजाब सरकार द्वारा लगाया गया जाएगा ।

पीतमपुरा दिल्ली में आवासीय भखंडों को व्यावसायिक भखंडों के रूप में बदलना

222. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत महीनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कतिपय अधिकारियों ने पीतमपुरा दिल्ली के अनेकों आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक उपयोग में लाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन भूखंडों की कुल संख्या क्या थी और इस प्रकार की अनुमति देने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी पिछले एक वर्ष के दौरान भूमि के उपयोग के परिवर्तन की अनुमति दी गयी है ;